फर्द अहकाम

संदीप बनाम किशोरीलाल

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

संख्या .....70/2024 प्र. क्र T.I.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17/12/25	पत्रावली धारा 340	अर्जी संख्या 07, 10/1, 10/2, 10/3, 10/5, 10/6, 11 को जवाब हेतु अनेक दफ्तर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने के कारण बन्द T.I. बन्द किया जाता है। अर्जी Adv ने T.I. नियत 31/05/24 को मुलवाद का फैसला होने तक उभय पक्ष को पाबन्द किया जाता है। जिस पर वादी अर्जी Adv ने सहमति जाहिर की। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः T.I. नियत 31/05/24 को मुलवाद का फैसला होने तक किया जाता है तथा उभय पक्ष को पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिलदफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)